Australian Government
Department of Home Affairs

मौसमी कार्यकर्ता [Seasonal worker]

COVID-19 का परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, या यदि आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो भी आपको जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
- न्यू साउथ वेल्स
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र
- क्वींसलैंड
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
- तस्मानिया
- विक्टोरिया
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

मैं एक मौसमी कार्यकर्ता [Seasonal worker] हूँ या प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] का प्रतिभागी हूँ

प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] के तहत उपवर्ग 403 वीज़ा धारक

यदि आपको और आपके कार्य-नियोक्ता को प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] में भाग लेने के लिए विदेशी मामले और व्यापार विभाग [Department of Foreign Affairs and Trade] से अनुमोदन प्राप्त है, तो आप प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] के तहत फिर से उपवर्ग 403 वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। यह वीज़ा आपको तब तक ऑस्ट्रेलिया में वैधतापूर्वक उपस्थित रहने और काम करना जारी रखने की अनुमति देगा, जब तक आप अपने गृह-देश वापिस जाने में सक्षम न हो जाएँ।

मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Program] के तहत उपवर्ग 403 वीज़ा धारक

आपके वीज़ा को आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है। परंतु ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने COVID-19 के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए नए उपाय प्रस्तुत किए हैं।

आप COVID-19 महामारी के दौरान अस्थायी कार्य (उपवर्ग 408) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित आयोजन (एजीईई) धारा वीज़ा (COVID-19 महामारी घटना वीज़ा) [Temporary Activity (subclass 408) Australian Government Endorsed Event (AGEE) stream visa (COVID-19 Pandemic event visa)] के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, यदि:

- आपका वीज़ा 28 दिनों या इससे कम समय में समाप्त हो जाएगा
- आपका वीज़ा पहले ही समाप्त हो चुका है, परंतु इसे समाप्त हुए 28 दिनों से अधिक समय नहीं हुआ है
- आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं

- आप स्वास्थ्य देखभाल, वृद्ध और विकलाँगता देखभाल, शिशु देखभाल, या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के COVID-19 से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम कर रहे/रही हैं।

यह वीज़ा आपको तब तक ऑस्ट्रेलिया में वैधतापूर्वक उपस्थित रहने और काम करना जारी रखने की अनुमति देगा, जब तक आप अपने गृह-देश वापिस जाने में सक्षम न हो जाएँ। मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Programme] और प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] व्यवस्थाएँ नए वीज़ा के लिए भी लागू होंगी, जिनमें कार्य-नियोक्ताओं से संबंधित व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

किसी अन्य कार्य-नियोक्ता के लिए काम करना

मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Programme] और प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] के तहत कार्यकर्ताओं को सामान्यतः केवल एक ही प्रायोजक [Sponsor]/स्वीकृत कार्य-नियोक्ता [Approved Employer] के लिए काम करने की अनुमति प्राप्त है, जब तक घरेलू मामले विभाग [Department of Home Affairs] आपको इनमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है।

COVID-19 की अवधि के दौरान आप प्रायोजक [Sponsor]/स्वीकृत कार्य-नियोक्ता [Approved Employer] में परिवर्तन कर सकते/सकती हैं। यदि आप अपने प्रायोजक [Sponsor]/स्वीकृत कार्य-नियोक्ता [Approved Employer] में परिवर्तन करना चाहते/चाहती हैं, तो आपके कार्य-नियोक्ता को:

- शिक्षा, कुशलताएँ और रोजगार विभाग [Department of Education, Skills and Employment] से संपर्क करना चाहिए, यदि आप एक मौसमी कार्यकर्ता (Seasonal Worker) हैं
- विदेशी मामले और व्यापार विभाग [Department of Foreign Affairs and Trade] से संपर्क करना चाहिए, यदि आप प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] में कार्यरत हैं।

इन अस्थायी व्यवस्थाओं के तहत भी कार्य-नियोक्ताओं को सभी प्रासंगिक ऑस्ट्रेलियाई कार्यस्थल कानूनों का पालन करना आवश्यक है और आपको ऑस्ट्रेलियाई कार्यस्थल कानून के तहत अन्य सभी कर्मियों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

वीज़ा शर्त 8503 (आगे नहीं रहना) [No further stay]

मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Program] में उपवर्ग 403 के वीज़ा से जुड़ी शर्त 8503 (आगे नहीं रहना) [No Further Stay] COVID-19 की अवधि में स्वतः रद्द कर दी जाएगी, ताकि आप COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic event visa] के लिए आवेदन कर सकें।

आपको शर्त 8503 रद्द किए जाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्तमान वीज़ाओं द्वारा अनुमत निवास की अवधियाँ

वर्तमान वीज़ा द्वारा अनुमत निवास की अवधि को आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यदि अपनी अनुमत निवास की अवधि के अंत में भी आप ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहते/रहती हैं, तो आपका वीज़ा समाप्त हो जाएगा। यदि अपने वीज़ा में अनुमत निवास की अवधि के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो जब तक आप ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने में सक्षम न हो जाएँ तब तक अपनी वैध पदस्थिति बनाए रखने के लिए आपको दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए।

आपको अपने कार्य-नियोक्ता के साथ अपनी परिस्थितियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। शिक्षा, कुशलताएँ और रोजगार विभाग [Department of Education, Skills and Employment] मौसमी कार्यकर्ताओं को कार्य के लगातार अवसर प्रदान करने और उन्हें सुरक्षित व समर्थित रखना सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत कार्य-नियोक्ताओं [Approved Employers] के साथ मिलकर काम कर रहा है।

यदि आप किसी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिसमें आगंतुक वीज़ा भी शामिल है, तो आप COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic event visa] के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप किसी भी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकते/सकती हैं। इसमें एक कथन और इस बात का प्रमाण शामिल हो सकता है कि अगले वीज़ा के आवेदन शुल्क (वीएसी) [Visa Application Charge (VAC)] का भुगतान करने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि सुलभ नहीं है।

संगरोध आवश्यकताएँ

सभी वीज़ा धारकों को सामाजिक दूरी और एकाँतवास सहित सभी COVID-19 स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

COVID-19 के फैलाव का प्रबंधन करने के उद्देश्य से कृषि-क्षेत्र में कार्य करने वाले अस्थायी वीज़ा धारकों के लिए संगरोध और एकाँतवास आवश्यकताओं की जिम्मेदारी राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के ऊपर है।

घरेलू मामले विभाग [Department of Home Affairs] राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारों द्वारा दिए गए संदर्भों को स्वीकार करता है, ताकि जनस्वास्थ्य और संगरोध कानूनों का पालन न करने वाले वीज़ा धारकों द्वारा स्वास्थ्य के लिए अस्वीकार्य खतरा पैदा किए जाने की स्थिति में उनके वीज़ा को रद्द करने पर विचार किया जा सके।

प्रत्येक राज्य और राज्य-क्षेत्र के कानूनों के विषय में जानकारी निम्नलिखित कड़ियों से प्राप्त की जा सकती है:

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र (एसीटी) - https://www.health.act.gov.au/
- न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) - https://www.health.nsw.gov.au/Pages/default.aspx
- विक्टोरिया (वीआईसी) - https://www.dhhs.vic.gov.au/
- क्वींसलैंड (क्यूएलडी) - https://www.health.qld.gov.au/
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (डब्ल्यूए) - https://www.health.wa.gov.au/
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया (एसए) - https://www.sahealth.sa.gov.au/
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र (एनटी) - https://health.nt.gov.au/
- तस्मानिया (टीएएस) - https://dhhs.tas.gov.au/

वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव करने वाले वीज़ा धारक

यदि आप स्वयं को आर्थिक रूप से समर्थित रखने में असक्षम हैं, तो आपको अपने गृह-देश वापिस जाने की व्यवस्थाएँ करनी चाहिए।

यदि आप अपने जीवन-यापन के तत्काल खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने ऑस्ट्रेलियाई सुपरएन्युएशन में से अधिकतम $10,000 की कर-मुक्त धनराशि सुलभ हो सकती है।